बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)–20/2016...789...न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक 2/4/03.2018

बिहार भवन उपविधि, 2014 के उपविधि–1(2)(v)(vi) में उपबंधित के अनुरूप राज्य सरकार एतद् द्वारा **आरा आयोजना क्षेत्र** के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भवन सम्बन्धी क्रियाकलापों को विनियमित करने के उद्देश्य से बिहार भवन उपविधि, 2014 का कार्यान्वयन अधिसूचित करती है।

2. **आरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार** के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी इन क्षेत्रों में भवन/लेआउट योजना के नक्शे की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

3. इन क्षेत्रों में भवन योजना/लेआउट योजना के नक्शे की स्वीकृति हेतु आवेदन आरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे।

4. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी योजना की स्वीकृति के पूर्व आवश्यक जाँच/सत्यापन करेंगे एवं संतुष्ट हो लेंगे कि आवेदित योजना बिहार भवन उपविधि–2014, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप है।

5. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सम्यक सत्यापन एवं जाँच की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त भवन/लेआउट योजना के नक्शे को स्वीकृति प्रदान करेंगे।

6. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

7. आरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार में शामिल शहरी क्षेत्र में भवन/लेआउट योजना के नक्शे की स्वीकृति हेतु बिहार भवन उपविधि, 2014 पूर्व से प्रभावी है। इन क्षेत्रों में नक्शों की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी पूर्ववत् सक्षम प्राधिकार रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

28/3/2018

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–11न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)–20/2016 789 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक 2/4/03.2018

प्रतिलिपि–अध्यक्ष, आरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार–सह–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/उपाध्यक्ष, आरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार–सह जिलाधिकारी, भोजपुर, आरा/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव, आरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/सभी सदस्य, आरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/सभी संबंधित अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

28/3/2018

प्रधान सचिव,

ज्ञापांक–11न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)–20/2016 789 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक 2/4/03.2018

प्रतिलिपि–अधीक्षक सचिवालय, मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे कृपया मुद्रित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

28/3/2018

प्रधान सचिव,

ज्ञापांक–11न०वि० / मा०प्लान(आ०क्षे०)–20 / 2016 789 / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक 2/4/03.2018

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार–सह–अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड / सभी सदस्य, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड / सभी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/3/2018

प्रधान सचिव,

ज्ञापांक–11न०वि० / मा०प्लान(आ०क्षे०)–20 / 2016 789 / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक 2/4/03.2018

प्रतिलिपि–भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकार, बिहार / विशेष कार्य पदाधिकारी, भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार / नगर आयुक्त, सभी नगर निगम / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार / कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत / सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/3/2018

प्रधान सचिव,

Government of Bihar
Urban Development & Housing Department

NOTIFICATION

No.- 11नoविo / माoप्लान(आoक्षेo)–20 / 2016 ...790.../UD&HD, Patna, Dated 2/4/03-2018,

In accordance with the provisions made in Bye Laws, 2014 No.-1(2)(v)(vi) of Bihar Building Bye Laws, 2014, the State Government, for the purpose of regulation of building construction activites in the Gram Panchyat Area(s) of Arrah Planning Area, do hereby, notify implimentaion of Bihar Building Bye Laws, 2014.

2. The Chief Executive Officer of Arrah Planning Area Authority shall be the Competent Authority for sanctioning of Building/Layout Plans in theses areas.

3. The application for Building/Layout Plan in these area shall be received in the office of Arrah Planning Area Authority.

4. Before sanctioning of Plan, the Chief Executive Officer, shall do required verification/ inspection and satisfy himself that the applied plan is in accordance with the provistions made in Bihar Building Bye Laws-2014, Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 and Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014.

5. After due verification and completing the process of enquiry, the Chief Executive Officer shall sanction the Building/Layout Plan.

6. This notificaion shall come into force at once.

7. Bihar Building Bye Laws, 2014 is already effective for sanctioning of Building/Layout Plan in Urban Area(s) of Arrah Planning Area Authority. For sanctioning of plan(s) in these area(s) concerned Chief Municipal Officer shall remain Competent Authotiy as earlier.

By order of the Governor of Bihar,

28/3/2018

(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary
Urban Development and Housing Department

Memo No.-11नoविo / माoप्लान(आoक्षेo)–20 / 2016 ...790... /UD&HD/Patna, dated 2/4/03.2018

Copy to-Chairman, Arrah Planning Area Authority-cum-Divisional Commissioner, Patna Division, Patna / Vice Chairman, Arrah Planning Area Authority-cum-District Magistrate, Bhojpur, Arrah/ Chief Executive Officer-cum-Member Secretary, Arrah Planning Area Authority/ All Members of Arrah Planning Area Authority/ Concerned all Circle Officer for kind information and necessary action.

28/3/2018

Principal Secretary,

Memo No.-11नoविo / माoप्लान(आoक्षेo)–20 / 2016 ...790... /UD&HD/Patna, dated 2/4/03.2018

Copy to-Suprintendant, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna/ E-Gazette Cell, Finance Department, Patna, Bihar with C.D. for publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

He is requested to make available 200 copies of published Gazette to Urban Development and Housing Department.

28/3/2018

Principal Secretary,

Memo No.-11नoविo/माoप्लान(आoक्षेo)–20/2016 ...790... /UD&HD/Patna, dated 2/4/03.2018

Copy to-Chief Secretary, Bihar, Patna/Development Commissioner, Bihar-cum-Chairman Bihar Urban Planning and Development Board/ All Member of Bihar Urban Planning and Development Board/ All Principal Secretary/Secretary/ Head of the Department/ Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar/All Divisional Commissioner/ All District Magistrate for information and necessary action.

28/3/2018

Principal Secretary,

Memo No.-11नoविo/माoप्लान(आoक्षेo)–20/2016 ...790... /UD&HD/Patna, dated 2/4/03.2018

Copy to- Real Estate Regulatory Authority, Bihar /Officer on Special Duty, Real Estate Regulatory Authority(RERA), Bihar/ Municipal commissioner, All Municipal Corporation/ Chief Executive Officer, Patna Metropolitan Area Authority, Patna / Chief Executive Officer, All Planning Area Authority/ Executive officer, All Municipal Council and Nagar Panchayat/ All Officer, UD&HD, Bihar/ Private Secretary to Hon'ble Minister, Urban Development & Housing Department, Bihar for information and necessary action.

28/3/2018

Principal Secretary,